



राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
NCDC
Assisting Cooperatives. Always!
सहकारिता की सहायता में सदैव उत्कृष्ट

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
NATIONAL COOPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION

An ISO-9001:2015 Certified Organization
A Statutory Corporation Under the Ministry of Cooperation,
Government of India

Poultry, Dairy & Livestock Division

Tel.No. 011-2692370
Fax : 011-26961930, 26516032
E-mail: pprabu@ncdc.in

4-Siri Institutional Area,
Hauz Khas, New Delhi-110016 India
Website: www.ncdc.in

No. NCDC: 1-1/2017-PDLS

Date: 02/03/2022

To

1. The Secretary / Commissioner (Cooperation/ Animal Husbandry / Veterinary Services) of States/UTs
2. The RCS of States/UTs
3. The Managing Director (Dairy/Piggery/Poultry/Sheep & Goat Cooperative Federations of States/ UTs)

Sub: Animal Husbandry Infrastructure Development Fund (AHIDF) Scheme of the Government of India

Sir/Madam,


I am directed to say that the Department of Animal Husbandry and Dairying (DAHD), Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India have the Animal Husbandry Infrastructure Development Fund (AHIDF) scheme under Atmanirbhar Bharat Abhiyan stimulus package of Rs. 15,000 crore for incentivizing investment across processing and value addition in dairy, meat, animal feed manufacturing, breed improvement and multiplication through technology interventions. Government of India will provide **interest subvention of 3% to eligible entities for eligible activities** under AHIDF scheme through **eligible lending institutions**.

2. The **Government of India have approved NCDC as an eligible lending institution** for providing loans under AHIDF scheme to Farmer Producer Organisations (FPOs) registered under Cooperatives Societies Act. Eligible beneficiaries may apply for loan from NCDC, following the procedures and eligible activities indicated in scheme guidelines. Copies of the scheme guidelines (English and Hindi) are enclosed at Annex-1 & 2. They are also available on <https://dahd.nic.in/ahdf>.

3. You are requested to give wide publicity among stakeholders and to formulate project proposals so that NCDC is the preferential lender for funding under AHIDF scheme.

4. Eligible cooperatives as per the scheme may be encouraged to apply through online portal at <https://ahidf.udyamimitra.in>. Steps involved in the online application process are enclosed at Annex-3 for reference. NCDC is included as lender under the category of Financial Institutions in the online portal and the beneficiary may select NCDC as lender while applying online.

Yours faithfully,


Prabu Paulraj
Director (PDLS)



**IMPLEMENTATION GUIDELINES
FOR
ANIMAL HUSBANDRY INFRASTRUCTURE
DEVELOPMENT FUND
(AHIDF)**

**Government of India
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying
Department of Animal Husbandry & Dairying**

IMPLEMENTATION GUIDELINES

FOR

ANIMAL HUSBANDRY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FUND (AHIDF)



Government of India

Government of India

Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying

Department of Animal husbandry and Dairying

INDEX

Sl. No.	Subject	Page No.
01	Background	1
02	Area of Operation	1
03	Objectives	1
04	Eligible Entities	2
05	Implementing Agency	2
06	Activities Eligible for Availing Benefits Under AHIDF	2-3
07	Quantum of Loan and Margin Money	3
08	Interest Subvention	4
09	Credit Guarantee Fund	4
10	Funding Mechanism	5
11	Loan Disbursement	5
12	Repayment	5-6
13	Availability of Land and Statutory Clearances	6-7
14	Obtaining Statutory Clearances Required for the project	7
15	Formation of the Detailed Project Report	7-8
16	Submission of the Project Proposal	8
17	Project Evaluation and Sanction	9
18	Implementation Mechanism	9-11
19	Project Monitoring	11-12
20	Awareness Creation	12-13
21	Annexure I List of Statutory Clearance	14
22	Annexure II Application Form	15-16

BIBLIOGRAPHY

Short form	Full form
AHIDF	Animal Husbandry Infrastructure Development Fund
NABARD	National Bank for Agriculture and Rural Development
EE	Eligible Entities
MSME	Micro Small Medium Enterprises
DPR	Detailed Project Report
PSC	Project Sanctioning Committee
PAC	Project Approval Committee
NLM	National Livestock Mission
CGM	Chief General Manager
PMA	Project Management Agency
CLFMA	Compound Livestock Feed Manufacturers' Association
IDF	Indian Dairy Federation
AILMEA	All India Livestock and Meat Exporters Association
CII	Confederation of Indian Industries
FICCI	Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries
ASSOCHAM	Associated Chambers of Commerce and Industry of India
ETP	Effluent Treatment Plant
COE	Consent to Establish
CO	Consent to Operate
EPF	Employees' Provident Fund

GUIDELINES FOR ANIMAL HUSBANDRY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FUND

BACKGROUND:

The recently announced Prime Minister's AtmaNirbhar Bharat Abhiyan stimulus package mentioned about setting up of Rs. 15000 crore Animal Husbandry Infrastructure Development Fund (AHIDF). The Animal Husbandry Infrastructure Development (AHIDF) has been approved for incentivizing investments by individual entrepreneurs, private companies, MSME, Farmers Producers Organizations (FPOs) and Section 8 companies to establish (i) the dairy processing and value addition infrastructure, (ii) meat processing and value addition infrastructure and (iii) Animal Feed Plant.

2. AREA OF OPERATION

The Animal Husbandry Infrastructure Development Fund (AHIDF) as detailed in the forthcoming paragraphs will be implemented in all States and Union Territories.

3. OBJECTIVES

- a) To help increasing of milk and meat processing capacity and product diversification thereby providing greater access for unorganized rural milk and meat producers to organized milk and meat market
- b) To make available increased price realization for the producer
- c) To make available quality milk and meat products for the domestic consumer
- d) To fulfill the objective of protein enriched quality food requirement of the growing population of the country and prevent malnutrition in one of the highest malnourished children population in the world
- e) Develop entrepreneurship and generate employment
- f) To promote exports and increase the export contribution in the milk and meat sector.
- g) To make available quality concentrated animals feed to the cattle, buffalo, sheep, goat, pig and poultry to provide balanced ration at affordable prices.

4. ELIGIBLE ENTITIES (EEs) FOR SUPPORT UNDER AHIDF

- a) Farmer Producer Organization(FPO)
- b) Private companies
- c) Individual entrepreneurs
- d) Section 8 companies
- e) Micro Small and Medium Enterprises

5. IMPLEMENTING AGENCY

Animal Husbandry Infrastructure Fund will be implemented by the Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying.

6. ACTIVITIES ELIGIBLE FOR AVAILING BENEFITS UNDER AHIDF:

6.1. Dairy Processing: under the Dairy Processing infrastructure the EE can avail benefit for establishment of the following:

6.1.1. Establishment of new units and Strengthening of existing dairy Processing Units with quality and hygienic milk processing facilities, packaging facilities or any other activities related to dairy processing.

6.2. Value added dairy product manufacturing:

The EE can also avail loan for establishment of new units and strengthening of existing manufacturing units for value addition of the following milk products:

6.2.1 Ice Cream unit

6.2.2. Cheese manufacturing unit

6.2.3. Ultra High Temperature (UHT) Milk processing unit with tetra packaging facilities

6.2.4. Flavoured Milk manufacturing unit

6.2.5. Milk Powder manufacturing unit

6.2.6. Whey powder manufacturing unit

6.2.7. Any other milk products and value addition manufacturing unit.

6.3 Meat processing and Value addition of facilities:

6.3.1. Establishment of new meat processing unit and strengthening of existing meat processing facilities for sheep/goat/ poultry/pig/buffalo in rural, semi-urban and urban areas.

6.3.2. Large scale integrated meat processing facilities/ plant/ unit.

6.3.3. **Value Added Products:** Establishment of new or strengthening of existing value addition facilities for meat products like Sausage, nuggets, ham, salami, bacon or any other meat products. These facilities could either be integral part of meat processing units or Standalone meat value addition unit.

6.3.4. The project cost of each meat processing plant should compulsorily include Effluent Treatment Plant (ETP), Meat Microbiological Testing Laboratory, Residue Testing laboratory, Cold storage for holding the offals, skin/ hide processing areas and their preservation and refrigeration facilities for holding the chilled products and value added products for minimum of 24 hours.

6.4. EE can also avail benefit for establishment of Animal Feed manufacturing and strengthening of existing units/ plant of the following categories:

6.4.1. Establishment of Mini, Medium and Large Animal Feed Plant

6.4.2. Total Mixed Ration Block Making Unit

6.4.3. By pass protein unit

6.4.4. Mineral Mixture Plant

6.4.5. Enrich Silage making unit

6.4.6. Animal Feed Testing Laboratory to be attached with the Medium to Large feed plant or the EE can avail benefit for establishment of Animal Feed Testing Laboratory in the existing Feed Plant to ensure quality feed.

7. QUANTUM OF LOAN AND MARGIN MONEY /BENEFICIARY CONTRIBUTION:

7.1. The project under the AHIDF shall be eligible for loan up to 90% of the estimated/ actual project cost from the Scheduled Bank based on submission of viable projects by eligible beneficiaries. The beneficiary contribution in case of Micro and Small units as per MSME defined ceiling could be 10% while in case of Medium Enterprises as per defined MSME ceiling, beneficiary contribution could go up to 15%. The beneficiary contribution in other categories of enterprises could go up to 25%.

7.2. Cost escalation of the approved project, if any occurred during the course of project implementation on account of genuine reasons like natural calamity, technical compulsions, change in the SoRs and any other unavoidable circumstances shall be

considered for enhancement of loan amount, within the reasonable time and note more than two years from the date of approval of the particular project.

7.3. Interest subvention will not be allowed for the loan sanctioned for procurement of land, working capital, old machineries and vehicle for personal use.

8. INTEREST SUBVENTION AND LENDING RATE OF INTEREST

8.1. Interest subvention: 3% for all Eligible Entities.

8.2. Lending Rate of Interest: The rate of interest to be fixed by scheduled banks should not exceed at 200 basis points plus External Bench Mark Based Lending Rate (EBLR) for the Eligible Entities whose project cost are falling within MSME defined ceilings. However, rate of interest to be fixed by scheduled banks for other project could be based on commercial interest rate of Banks.

8.3. The Department of Animal Husbandry and Dairying will directly pay the interest subvention to the Scheduled Bank. Initially the Department will pay interest subvention amount in advance upfront to the lending bank for the first year based on the request of Scheduled Bank. Interest subvention from the 2nd year onwards would be released based on the non- NPA borrowers entitlement claimed by the Scheduled Banks every year in advance.

8.4. The Eligible Entities will not be able to get the interest subvention, if the EE is defaulter of re-payment of loan amount in any given year.

9. CREDIT GURANTEE FUND

9.1 A Credit Guarantee fund of Rs. 750 cr. (Rupees Seven Hundred and Fifty Crore) will be established. The Fund will be managed by NABARD.

9.1.1. Department of Animal Husbandry and Dairying will pay Rs. 75 crore per year over 10 years towards Credit Guarantee at the beginning of each Financial Year.

9.1.2. The credit guarantee will be provided only for those projects which are viable and are covered under MSME defined ceilings and the guarantee coverage would be up to 25% of the credit facility available to the borrower.

9.1.3. The Credit Guarantee will not be provided to other beneficiaries who are not covered under MSME norms, however, those EEs will be eligible to get interest subvention.

9.1.4. The detailed guidelines along with the features of the Credit Guarantee Fund managed by NABARD will be issued separately.

10. FUNDING MECHANISM

10.1 The entire amount of AHIDF of Rs. 15000 cr. will be disbursed by the Scheduled Bank starting from 2020-21

10.2 The Scheduled bank may utilize their available financial resources to lend the Eligible Entities.

11. LOAN DISBURSEMENT

11.1. The entire amount of AHIDF of Rs. 15000 crore will be disbursed by the scheduled banks within a period of 3 years starting from 2020-21

12. REPAYMENT:

12.1 Maximum repayment Period: 8 years inclusive of moratorium of 2 years on principal amount.

12.2. The Scheduled Bank shall ensure that maximum re-payment period should not exceed 10 years from the date of first disbursement inclusive of moratorium of 2 years on repayment of principal.

12.3 However, the Financing Bank, at their discretion, may curtail the repayment period depending on the project magnitude, size of the financial investment, repayment capacity of the project proponents (EEs) etc.

12.4 Further, subject to the provisions of AHIDF, the operational and credit related decisions like process of repayment, penal interest, security and extent of finance will be decided by the Scheduled Bank.

12.5 Subject to provisions of AHIDF, Scheduled Bank will fix the lending rates in consonance with broad regulatory guidelines of RBI taking into account their cost of funds and the risk perception of the loan.

12.6 Subject to provisions of AHIDF, the Scheduled Bank may consider providing additional loan against justified escalations of the approved projects.

12.7. A project will be non-starter, if no draws are made within six months from the date of sanction by the Scheduled Bank. Further, the Sanction would lapse if the EE, fails to ground the project within a period of 12 months, from the date of sanction by the Scheduled Bank. This is a broad guidelines, however, the lending bank may take final decision on case to case basis.

12.8. The lending bank may consider withdrawal of projects by EEs on account of genuine constraints and difficulties as per the Bank's terms of reference in this regard.

12.9. The Scheduled Bank may consider stopping further disbursements of loans and advances sanctioned for the project, until such amount in default are paid in full by EEs. In such cases, neither the lending agency nor Department of Animal Husbandry and Dairying, GoI, shall be liable for any loss, damage or expenses that may be caused in the completion of aforementioned projects.

13. AVAILABILITY OF LAND AND STATUTORY CLEARANCES

13.1 Loan under AHIDF shall not be provided for acquisition of land in any manner such as purchase, transfer, lease, accession/addition etc. required for implementation of the identified project activities.

13.2. The Eligible Entity are required to acquire necessary land (in case of non-availability of land with them) at their own cost and complete all processes associated with land acquisition, before submission of the proposal for finance under AHIDF.

13.3. The projects having land on long term lease (minimum 30 years) may also be considered for financing under AHIDF. However, the lease period/ agreement should be of sufficient duration to secure the loan. In case of lease requisite No Objection Certificate from the competent authority for mortgage to Bank may be obtained.

13.4. The EE may not be allowed to terminate the lease agreement intermediately (earlier than the agreed lease period) and sell out the land as well as facilities created with the loan availed under the AHIDF. However, in case of compulsion

to do so in unavoidable circumstances whatsoever then EE shall obtain permission from the concerned Bank after return of the entire loan availed till that time, with applicable interest and prepayment penalty, if any, to the Scheduled Bank, in a single instalment.

13.5. Confirmation with necessary documentary evidence on availability of land and statutory clearances (wherever necessary) shall be clearly indicated in the Detailed Project Report/Self Contained Proposal. A list of clearances which could be required mandatorily is attached at **Annexure I**.

13.6 The EEs shall provide documentary evidence/certificate of availability of requisite land free from all encroachment and encumbrances.

14. OBTAINING STATUTORY CLEARANCES REQUIRED FOR THE PROJECT

14.1. The EEs are required to obtain necessary clearances, permits and licenses whatsoever and wherever required for implementation of the intended project under the AHIDF. The requisite expenditure, if any involved for obtaining statutory clearances shall be met by the applicants/ beneficiaries.

14.2. For obtaining Statutory clearances, the beneficiary may have to approach various Department/ Organizations in the State Government. This may create unnecessary hurdle to the beneficiary. Therefore, the State Animal Husbandry Department shall establish the single window for facilitating the necessary statutory clearances for the project and handhold the EEs to submit the project to the Bank and the Department of Animal Husbandry & Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. An indicative list of statutory clearances required is at **Annexure I**.

15. FORMULATION OF DETAILED PROJECT REPORT (DPR)

15.1. The EEs shall prepare the detailed Viable Project Report seeking loan under the AHIDF along with self-contained proposal.

15.2. Every project report must include the proposal for establishment of quality management unit for milk, meat and animal feed, packaging unit and also the product promotion.

15.3. The project report should also include the future market generation, employment opportunity, procurement of raw materials and any other information related to project.

15.4. The Detailed projects especially for infrastructure related to dairy processing, meat processing and value addition and establishment of Animal Feed Plant should be prepared based on:

- (i). Identification of suitable site
- (ii). Necessary engineering and socio-economic investigations and surveys,
- (iii). Planning and designing of the facilities and
- (iv). Model studies wherever required.

15.5. The EEs may also approach concerned State Animal Husbandry Department, State Government or Central Government Corporations, Consultancy Services seeking technical assistance for preparation of project documents. The EE, if required, also consult the list of Handholding agencies available in the Udyami Mitra Portal of Sidbi.

15.6. The State Animal Husbandry Department to handhold such EEs to prepare the projects when requested by them including facilitating the necessary clearances through Single Window System.

16. SUBMISSION OF THE PROJECT PROPOSAL

16.1. The EE will submit the proposal with complete DPR through “Udyami Mitra” Portal developed by Small Industries Development Bank of India (Sidbi).

16.2. The Schedule Bank after due appraisal and sanction of the project subject to approval of interest subvention under AHIDF by Department of Animal Husbandry and Dairying will forward the application/ project to the Department of Animal Husbandry and Dairying for approval of interest subvention through online mechanism.

16.3. Application for seeking interest subvention to be submitted as per the Form attached at **Annexure II**.

17. PROJECT EVALUATION AND SANCTION

17.1. The Project Management Agency set up in the Department of Animal Husbandry and Dairying shall scrutinize the application, evaluate, and appraise the proposal sanctioned by the Scheduled Banks for approval of interest subvention under AHIDF by Project Approval Committee.

17.2. The Project Approval Committee will meet regularly and consider the proposals placed before it and accord approval to projects costing up to Rs. 50 cr. for grant of interest subvention.

17.3. The Project Approval Committee shall recommend the project above Rs. 50 cr. to the Project Sanctioning Committee(PSC) after screening and evaluation of the projects.

17.4. The Bank shall send a copy of loan sanction to Project Sanctioning Committee/ Project Approval Committee prior to such projects being considered for interest subvention under AHIDF.

17.5. The Project Approval Committee/ Project Sanctioning Committee will also recommend for Credit Guarantee on each project falling within the definition of MSME once the loan is sanctioned by the Bank.

17.6. All the projects will be assessed by the Committee based on the Eligibility criteria of the EEs, Eligible Activities proposed, Bank's approval, geographical preferences, MSME certification, sectorial preferences, demand and economic viability.

18. IMPLEMENTATION MECHANISM

18.1. Following Committees have been constituted by the Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying for implementation of AHIDF.

18.2. Project Sanctioning Committee (PSC)

18.2.1. Composition:

- (i) Secretary, Department of Animal Husbandry & Dairying, GOI- Chairperson
- (ii) Representative of NABARD, not less than the rank of CGM
- (iii) Financial Advisor of Department of Animal Husbandry & Dairying, GOI

- (iv) Representative of Department of Financial Services, not less than Joint Secretary level
- (v) Representative of Ministry of Food Processing, not less than Joint Secretary level
- (vi) Joint Secretary (Cattle & Dairy Development), Department of Animal Husbandry & Dairying
- (vii) Secretary of the concerned State
- (viii) Representative of participating Banks not less than Deputy Managing Director/ CGM
- (ix) Joint Secretary (NLM)- Member Convener

18.1.2. Terms of References (ToRs) of PSC would be as follows:

- (a) To take decision on approval/amendment of AHIDF guidelines,
- (b) To take decision on addition and deletion of activities, approve annual action plans and fund drawl plans etc.
- (c) To approve projects for interest subvention based on recommendation of Project Approval Committee
- (d) To delegate powers that may be necessary for smooth implementation of the project.
- (e) To modify physical and financial targets of individual activities and also unit cost correction.
- (f) To co-opt external experts from the field of Animal Husbandry as members of the PSC.
- (g) To hold its meeting as and when needed

18.3. Project Approval Committee (PAC):

18.3.1. Composition

- (i). Joint Secretary (National livestock Mission)- Chairman
- (ii). Representative from NABARD
- (iii). Representative from Financial Advisor, DAHD
- (iv). Representative of Department of Financial Services
- (v). Representative from Ministry of Food Processing Industries
- (vi). Representative from the Concerned Bank

- (vii). Representative from the Dairy Division
- (viii).. Representative from the Concerned State (not below the rank of Director)
- (ix). Joint Commissioner/ Deputy Commissioner/ Director of NLM Division-convener.

18.3.2. Terms and References (ToRs)

- (i) The Project Approval Committee will prepare the Scheme guidelines and submit the same to the Project Sanctioning Committee for approval
- (ii) The project approval Committee will approve project up to Rs. 50.00 cr. for interest subvention.
- (iii) The project above Rs. 50 cr. for interest subvention will be approved by the Project Sanctioning Committee after recommendation of the project approval committee.
- (iv).The meeting of the Committee will be held in every month or even before one month depending on the proposal.

19. PROJECT MONITORING UNIT

19.1 The Department of Animal Husbandry and Dairying will outsource Project Management Agency (PMA).

19.2. The terms of Reference of the PMA will be as under:

- (i) The PMA will arrange all logistic support including manpower at the Head Quarter to undertake all Desk and Field monitoring, and identifying critical issues and bottlenecks such as non-starter projects, slow progressing projects, geographical and sectorial preferences, compilation of project-wise progress report, outcomes etc. The design for monitoring mechanism will be approved by the PSC.
- (ii). PMA will also undertake work for monitoring the Udyami Mitra Portal regarding application received, processed and pending with the banks and in DAHD, Development of Dash Board for MIS system, follow up with the States for getting project proposal, hand holding the beneficiaries on the queries on the

AHIDF, scouting the proposals, interaction with the banks. PMA will also evaluate the projects and place before the PAC/PSC for approval.

(iii). PMA will also assist in all the matters relating to monitoring and evaluation of the projects and preparation of report, before PAC& PSC.

19.3. PSC, PAC and PMA together will carry out the work of Project Monitoring in the following manner:

(i) The Project Sanctioning Committee in the Department of Animal Husbandry and Dairying will review and monitor the projects approved under AHIDF. The monitoring meetings of PSC shall be held on quarterly basis to review the progress of the project taken up under the AHIDF.

(ii) The PMA will collect information on the progress of the project(s) from EEs, Banks on a quarterly basis including physical and financial achievements and place before the PSC.

(iii) PSC will carry out project-wise midterm corrections, if any required due to technical and administrative compulsions faced by any project at the time of implementation. The Mid-term corrections shall include increase/decrease of the project scope, re-arrangement of the project components, re-appropriation of funds from one item to other item within the overall approved project cost.

(vi).The project will be considered non-starter when the EE fail to get their loan disbursed from the Bank.

20. AWARENESS GENERATION

20.1. There are various stake holders who can avail benefit of the scheme. These stake holders need to be aware of the scheme adequately so that they can access the fund. Therefore, the Central Government will use Electronic, Print and Social Media to create public awareness.

20.2. The Stake Holders' like Indian Dairy Federation (IDF), Compound Livestock Feed Manufacturers' Associations (CLFMA), All India Livestock and Meat Exporters' Association, State Government's Livestock Corporation, CII, FICCI, ASSOCHAM and others will be involved in awareness creation.

20.3. The State Government will also create ground level awareness through conferences, seminar, and workshops, business meet, through electronic, print and social media. The funding support will be provided to States and other agencies to create such awareness.

Indicative List of Statutory Clearances

Sl. No.	Name of Statute
01	Local Authority Clearances as per the State Requirements
02	No objection from the Land Authority on the lease hold or ownership of the land.
03	Consent to Establish (COE) and Consent to Operate (CO) from the State Pollution Control Board
04	Trade Licenses
05	Food Safety and Standard Authority of India
07	Water and Air Acts
07	State Electricity Board
08	MSME Registration (only for MSME companies)
09	Registration under Companies Act (only for companies)
10	Registration under Labour Act/ EPF Act.
11	Any other Statutory clearances required from the respective state to establish dairy, meat processing and animal feed plant.



Government of India
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
Department of Animal Husbandry & Dairying

ONLINE APPLICATION FORM
SEEKING INTEREST SUBVENTION UNDER ANIMAL HUSBANDRY
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FUND

		PHOTO
		Signature
S. No.	Particulars	
1.	Category of Infrastructure a. Dalry Processing b. Meat Processing c. Animal Feed Plant d. Value Addition	
2.	Name of Eligible Entity a. Farmers producer Organization(FPO) b. Section 8 Company c. Individuals Entrepreneur d. Private company e. MSME	
3.	Address a. Location of the Proposed Project (With Geo-Tagging and location Map and Photo of the site) b. Location of the Corporate Office c. Address of the Individuals.	
4.	Total Turnover of the Company (Provide last three years balance sheet)	
5.	If falling under MSME definition, please provide Certificate	
6.	PAN/TIN/Aadhar Number	
7.	Telephone No. /Mobile No.	
8.	Email address	
9.	Bank details where loan application has been sanction a. Name of the Bank	

	b. Bank Branch c. Address d. Email Address of Branch Manager e. Telephone Number f. IFSC Code	
10.	Details of the Bank Accounts a. Name of the Bank b. Bank Branch c. Address d. Loan Account Number e. Telephone Number f. IFSC Code	
11.	Project Details(Brief description of the project)	

(Signature of Applicant)

Please attach following documents

- x Detailed Project including component wise cost break up, total cost, recurring cost, net income etc. and viability of project
- x Supporting documents [Proof of Address, Copy of PAN/TIN /Aadhar card, MSME certificate (if applicable), proof of land holding (ownership or lease, conversion), education certificate, photocopies of training certificate, income proof, bank statement for last six months relevant for the project.
- x Cite Plan of the project.
- x List of Machinery and Equipment.
- x Lay out plan (both Civil and Machinery) of the processing facility certified by the registered architect.
- x All Statutory clearances like Clearances from the Local administration, Trade Licenses, Consent of Establishment, Consent to Operate from State Pollution Control Board, FSSAI License required for the project
- x Roadmap to ensure the Quality management of the product, product promotion and market development.



Government of India
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying
Department of Animal Husbandry & Dairying

पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ)

हेतु

कार्यान्वयन संबंधी दिशा-निर्देश



भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ सं.
01	पृष्ठभूमि	4
02	कार्य क्षेत्र	4
03	उद्देश्य	4
04	पात्र इकाईयां	4
05	कार्यान्वयन एजेंसी	5
06	एएचआईडीएफ के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र कार्यकलाप	5-6
07	ऋण और मार्जिन राशि की मात्रा	6-7
08	ब्याज सहायता	7
09	क्रेडिट गारंटी निधि	8
10	वित्तपोषण तंत्र	8
11	ऋण संवितरण	8
12	अदायगी	8-9
13	भूमि और सांविधिक मंजूरी की उपलब्धता	9-10
14	परियोजना के लिए आवश्यक सांविधिक मंजूरी प्राप्त करना	10
15	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना	11
16	परियोजना प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण	11
17	परियोजना का मूल्यांकन और संस्वीकृति	12
18	कार्यान्वयन तंत्र	12-14
19	परियोजना निगरानी इकाई	14-15
20	जागरूकता उत्पन्न करना	15
21	अनुबंध ।	16

	सांविधिक मंजूरी की सांकेतिक सूची	
22	अनुबंध ॥ आवेदन पत्र	17-18

संदर्भ सूची

संक्षिप्त रूप	पूर्ण रूप
एएचआईडीएफ	पशुपालन अवसंरचना विकास निधि
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
ईई	पात्र इकाईयां
एमएसएमई	सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
पीएससी	परियोजना संस्वीकृति समिति
पीएसी	परियोजना अनुमोदन समिति
एनएलएम	राष्ट्रीय पशुधन मिशन
सीजीएम	मुख्य महाप्रबंधक
पीएमए	परियोजना प्रबंधन एजेंसी
सीएलएफएमए	मिश्रित पशुधन आहार निर्माता संघ
ईडीएफ	भारतीय डेयरी संघ
एआईएलएमईए	अखिल भारतीय पशुधन और मांस निर्यातक संघ
सीआईआई	भारतीय उद्योग परिसंघ
फिक्की	भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ
एसोचैम	एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया
ईटीपी	एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट
सीओई	स्थापित करने के लिए सहमति
सीओ	संचालित करने के लिए सहमति
ईपीएफ	कर्मचारी भविष्य निधि

पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) हेतु दिशा-निर्देश

पृष्ठभूमि:

हाल ही में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज में 15,000 करोड़ रुपए की पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) की स्थापना के बारे में उल्लेख किया गया था। पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) को व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों, एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और धारा 8 की कंपनियों द्वारा (i) डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्द्धन अवसंरचना, (ii) मांस प्रसंस्करण और मूल्य संवर्द्धन अवसंरचना और (iii) पशु आहार संयंत्र की स्थापना हेतु निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

2. कार्य क्षेत्र

जैसा कि आगामी पैराग्राफ में विस्तृत रूप से बताया गया है, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया जाएगा।

3. उद्देश्य

(क) दुग्ध एवं दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता तथा उत्पाद विविधीकरण को बढ़ाने में मदद करना और उसके द्वारा असंगठित ग्रामीण दुग्ध और मांस उत्पादकों को संगठित दुग्ध और मांस बाजार में व्यापक पहुंच प्रदान करना।

(ख) उत्पादकों को बढ़ा हुआ मूल्य उपलब्ध कराना।

(ग) घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्तापूर्ण दुग्ध एवं मांस उत्पादों को उपलब्ध कराना।

(घ) देश की बढ़ती हुई आबादी की प्रोटीन युक्त गुणवत्तापूर्ण आहार की आवश्यकता के उद्देश्य को पूरा करना और विश्व की सर्वाधिक कुपोषित बच्चों की आबादी में से एक में कुपोषण को रोकना।

(ङ) उद्यमिता विकसित करना और रोजगार सृजित करना।

(च) निर्यात को बढ़ावा देना और दुग्ध एवं मांस क्षेत्र में निर्यात के योगदान को बढ़ाना।

(छ) किफायती मूल्यों पर संतुलित राशन प्रदान करने के लिए गोपशु, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर और कुक्कुट को गुणवत्तापूर्ण संकेन्द्रित पशु आहार उपलब्ध कराना।

4. एएचआईडीएफ के तहत सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र इकाईयां (ईई)

क) किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)

ख) निजी कंपनियां

ग) व्यक्तिगत उद्यमी

घ) धारा 8 कंपनियां

ङ) सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम

5. कार्यान्वयन एजेंसी

पशुपालन अवसंरचना निधि को पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

6. एचआईडीएफ के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र कार्यकलाप

6.1. डेयरी प्रसंस्करण: डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना के तहत पात्र संस्थाएं निम्नलिखित की स्थापना हेतु लाभ उठा सकती हैं:

6.1.1 नई इकाइयों की स्थापना और मौजूदा डेयरी प्रसंस्करण इकाइयों की गुणवत्ता और स्वच्छ दूध प्रसंस्करण सुविधाओं, पैकेजिंग सुविधाओं या डेयरी प्रसंस्करण से संबंधित किसी भी अन्य कार्यकलाप को सुदृढ़ करना।

6.2. मूल्य वर्धित डेयरी उत्पाद विनिर्माण:

पात्र संस्थाएं निम्नलिखित दूध उत्पादों के मूल्य वर्धन हेतु नई इकाइयों की स्थापना के लिए और मौजूदा विनिर्माण इकाइयों के सुदृढ़ीकरण हेतु भी ऋण प्राप्त कर सकती हैं:

6.2.1 आइसक्रीम यूनिट

6.2.2 पनीर विनिर्माण इकाई

6.2.3 टेट्रा पैकेजिंग सुविधाओं के साथ अल्ट्रा हाई टेम्प्रेचर (यूएचटी) दुग्ध प्रसंस्करण इकाई

6.2.4 सुगंधित दुग्ध विनिर्माण इकाई

6.2.5 दूध पाउडर विनिर्माण इकाई

6.2.6 मट्टा पाउडर विनिर्माण इकाई

6.2.7 कोई भी अन्य दुग्ध उत्पाद और मूल्य संवर्धन विनिर्माण इकाई।

6.3 मांस प्रसंस्करण और सुविधाओं का मूल्य संवर्धन:

6.3.1. ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में भेड़/बकरी/कुक्कुट/सुअर/भैंस के लिए नई मांस प्रसंस्करण इकाई की स्थापना और मौजूदा मांस प्रसंस्करण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण

6.3.2. बड़े पैमाने वाली एकीकृत मांस प्रसंस्करण सुविधाएं / संयंत्र / इकाई।

6.3.3. **मूल्य वर्धित उत्पाद:** सॉसेज, नगेट्स, हैम, सलामी, बेकन या किसी भी अन्य मांस उत्पाद जैसे मांस उत्पादों के लिए नई मूल्य संवर्धन सुविधाओं की स्थापना और मौजूदा मूल्य संवर्धन सुविधाओं का सुदृढीकरण। ये सुविधाएं या तो मांस प्रसंस्करण इकाइयों या स्टैंडअलोन (एकमात्र) मांस मूल्य संवर्धन इकाई का अभिन्न हिस्सा हो सकती हैं।

6.3.4. प्रत्येक मांस प्रसंस्करण संयंत्र की परियोजना लागत में एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी), मीट माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी, अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला, ऑफल्स रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज, स्किन/हाइड प्रोसेसिंग एरिया और प्रशीतित उत्पादों और मूल्य वर्धित उत्पादों को कम से कम 24 घंटे रखने के लिए उनके संरक्षण और रेफ्रिजिरेशन की सुविधाओं को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

6.4. पात्र संस्थाएं पशु आहार विनिर्माण की स्थापना और निम्नलिखित श्रेणियों की मौजूदा इकाइयों/संयंत्र के सुदृढीकरण के लिए भी लाभ उठा सकती हैं:

6.4.1 लघु, मध्यम और बड़े पशु आहार संयंत्र की स्थापना

6.4.2 कुल मिश्रित राशन ब्लॉक निर्माण इकाई

6.4.3 बाईपास प्रोटीन यूनिट

6.4.4 खनिज मिश्रण संयंत्र

6.4.5 समृद्ध सिलेज निर्माण इकाई

6.4.6 मध्यम से बृहद आहार संयंत्र के साथ जोड़ी जाने वाली पशु आहार परीक्षण प्रयोगशाला या पात्र संस्थाएं गुणवत्तापूर्ण आहार सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा आहार संयंत्र में पशु आहार परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना का लाभ उठा सकती हैं।

7. ऋण और मार्जिन राशि / लाभार्थी के योगदान की मात्रा:

7.1. एचआईडीएफ के तहत परियोजना, पात्र लाभार्थियों द्वारा व्यवहार्य परियोजनाओं को प्रस्तुत करने के आधार पर अनुसूचित बैंक से अनुमानित / वास्तविक परियोजना लागत के 90% तक ऋण के लिए पात्र होगी। एमएसएमई निर्धारित सीमा के अनुसार सूक्ष्म और लघु इकाइयों के मामले में लाभार्थी का योगदान 10% हो सकता है, जबकि एमएसएमई निर्धारित

सीमा के अनुसार मध्यम उद्यमों के मामले में लाभार्थी का योगदान 15% तक हो सकता है। अन्य श्रेणियों के उद्यमों में लाभार्थी का योगदान 25% तक हो सकता है।

7.2. यदि प्राकृतिक आपदा, तकनीकी बाध्यताओं, एसओआर में परिवर्तन और किन्हीं अन्य अपरिहार्य परिस्थितियों जैसे वास्तविक कारणों की वजह से परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान अनुमोदित परियोजना की लागत में वृद्धि होती है, तो उचित समय के भीतर और उस विशिष्ट परियोजना के अनुमोदन की तारीख से दो साल के भीतर ऋण राशि में वृद्धि के लिए विचार किया जाएगा।

7.3. व्यक्तिगत उपयोग के लिए भूमि, कार्यशील पूंजी, पुरानी मशीनरी और वाहन की खरीद के लिए मंजूर किए गए ऋण के लिए ब्याज सहायता की अनुमति नहीं होगी।

8. ब्याज सहायता और ब्याज की उधार दर

8.1. **ब्याज सहायता:** सभी पात्र इकाईयों के लिए 3%

8.2. **ब्याज की उधार दर:** जिन पात्र इकाईयों की परियोजना लागत एमएसएमई द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर है, उनके लिए अनुसूचित बैंकों द्वारा तय की जाने वाली ब्याज दर बाह्य बैंच मार्क आधारित उधार दर (ईबीएलआर) सहित 200 आधार अंकों से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि, अन्य परियोजना के लिए अनुसूचित बैंकों द्वारा तय की जाने वाली ब्याज दर बैंकों की व्यावसायिक ब्याज दर पर आधारित हो सकती है।

8.3. पशुपालन और डेयरी विभाग अनुसूचित बैंक को सीधे ब्याज का भुगतान करेगा। प्रारंभ में विभाग अनुसूचित बैंक के अनुरोध के आधार पर पहले वर्ष के लिए ऋण देने वाले बैंक को अग्रिम ब्याज सहायता राशि का भुगतान करेगा। दूसरे वर्ष से ब्याज सहायता अनुसूचित बैंकों द्वारा हर वर्ष अग्रिम में दावा की गई गैर-एनपीए उधारकर्ता हकदारी के आधार पर जारी की जाएगी।

8.4. यदि पात्र इकाई दिए गए किसी भी वर्ष में ऋण राशि की अदायगी की डिफॉल्टर है, तो वह पात्र संस्था ब्याज सहायता नहीं पा सकेगी।

9. क्रेडिट गारंटी निधि

9.1. 750 करोड़ रुपए (सात सौ पचास करोड़ रुपए) के क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना की जाएगी। निधि का प्रबंधन नाबार्ड द्वारा किया जाएगा।

9.1.1. पशुपालन और डेयरी विभाग प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में क्रेडिट गारंटी के लिए 10 वर्षों में प्रति वर्ष 75 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा।

9.1.2. क्रेडिट गारंटी केवल उन परियोजनाओं के लिए प्रदान की जाएगी जो व्यवहार्य हैं और एमएसएमई द्वारा निर्धारित सीमा के तहत कवर की गई हैं। गारंटी कवरेज उधारकर्ता को उपलब्ध क्रेडिट सुविधा के 25% तक होगा।

9.1.3. अन्य लाभार्थी, जो एमएसएमई मानदंडों के तहत शामिल नहीं हैं, को क्रेडिट गारंटी प्रदान नहीं की जाएगी, हालांकि, वे पात्र इकाईयां ब्याज सहायता प्राप्त करने के योग्य होंगी।

9.1.4. नाबार्ड द्वारा प्रबंधित क्रेडिट गारंटी निधि की विशिष्टताओं के साथ विस्तृत दिशानिर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

10. वित्तपोषण तंत्र

10.1 एचआईडीएफ की 15000 करोड़ रुपए की संपूर्ण राशि वर्ष 2020-21 से अनुसूचित बैंक द्वारा वितरित की जाएगी।

10.2 अनुसूचित बैंक पात्र इकाईयों को उधार देने के लिए अपने उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं।

11. ऋण संवितरण

11.1. एचआईडीएफ की 15000 करोड़ रुपए की संपूर्ण राशि वर्ष 2020-21 से शुरू होने वाली 3 वर्ष की अवधि के भीतर अनुसूचित बैंकों द्वारा संवितरित की जाएगी।

12. अदायगी:

12.1 अदायगी की अधिकतम अवधि: मूल राशि पर 2 वर्ष की अधिस्थगन अवधि सहित 8 वर्ष।

12.2. अनुसूचित बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि अदायगी की अधिकतम अवधि मूल के भुगतान पर 2 वर्ष की अधिस्थगन अवधि सहित प्रथम संवितरण की तारीख से 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

12.3 तथापि, फाइनेंसिंग बैंक, अपने विवेक पर, परियोजना परिमाण, वित्तीय निवेश का आकार, परियोजना के समर्थकों (पात्र इकाईयों) की भुगतान क्षमता आदि के आधार पर, अदायगी की अवधि को कम कर सकता है।

12.4 इसके अलावा, एचआईडीएफ के प्रावधानों के अधीन, परिचालन और ऋण संबंधी निर्णय जैसे कि अदायगी की प्रक्रिया, दंड ब्याज, सुरक्षा और वित्त की सीमा का निर्धारण अनुसूचित बैंक द्वारा किया जाएगा।

12.5 एचआईडीएफ के प्रावधानों के अधीन, अनुसूचित बैंक, उनके कोष की लागत और ऋण की जोखिम धारणा को ध्यान में रखते हुए आरबीआई के व्यापक विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण की दर तय करेगा।

12.6 एचआईडीएफ के प्रावधानों के अधीन, अनुसूचित बैंक अनुमोदित परियोजनाओं में न्यायोचित वृद्धि हेतु अतिरिक्त ऋण प्रदान करने पर विचार कर सकता है।

12.7. यदि अनुसूचित बैंक द्वारा स्वीकृति की तारीख से छह माह के भीतर कोई आहरण नहीं किया जाता है तो परियोजना शुरू नहीं होगी। इसके अलावा, यदि पात्र इकाई, अनुसूचित बैंक द्वारा स्वीकृति की तारीख से 12 माह की अवधि के भीतर परियोजना को स्थापित करने में विफल रहती है, तो स्वीकृति समाप्त हो जाएगी। यह एक व्यापक दिशानिर्देश है, तथापि, उधार देने वाला बैंक मामला दर मामला आधार पर अंतिम निर्णय ले सकता है।

12.8. उधारकर्ता बैंक इस संबंध में बैंक की विचारार्थ मदों के अनुसार वास्तविक बाधाओं और कठिनाईयों के कारण पात्र इकाईयों द्वारा परियोजनाओं की वापसी पर विचार कर सकता है।

12.9. अनुसूचित बैंक परियोजना के लिए संस्वीकृत ऋणों और अग्रिमों के आगे संवितरण को रोकने पर विचार कर सकता है, जब तक कि डिफॉल्ट रूप से पात्र इकाई द्वारा ऐसी राशि का संपूर्ण भुगतान नहीं किया जाता है। ऐसे मामलों में, उपरोक्त परियोजनाओं को पूरा करने के दौरान होने वाली किसी भी हानि, क्षति या खर्चों के लिए न तो उधार देने वाली एजेंसी और न ही पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार उत्तरदायी होगा।

13. भूमि और सांविधिक मंजूरी की उपलब्धता

13.1 एचआईडीएफ के तहत ऋण किसी भी तरीके से जैसे कि अभिचिह्नित परियोजना कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक खरीद, हस्तांतरण, पट्टे, परिग्रहण/परिवर्धन आदि से भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रदान नहीं किया जाएगा।

13.2. एचआईडीएफ के तहत पात्र इकाई को वित्त के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले, अपनी स्वयं की लागत पर आवश्यक भूमि (उनके पास भूमि की अनुपलब्धता के

मामले में) प्राप्त करने और भूमि अधिग्रहण से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने की आवश्यकता होती है।

13.3. एचआईडीएफ के तहत वित्तपोषण के लिए दीर्घकालिक लीज (न्यूनतम 30 वर्ष) पर भूमि रखने वाली परियोजनाओं पर भी विचार किया जा सकता है। तथापि, ऋण को सुरक्षित करने के लिए लीज अवधि/समझौता पर्याप्त अवधि का होना चाहिए। लीज के मामले में, बैंक को गिरवी रखने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

13.4. पात्र इकाई को लीज समझौते को बीच में (सहमत लीज अवधि से पूर्व) समाप्त करने और एचआईडीएफ के तहत भूमि तथा प्राप्त किए गए ऋण के साथ सृजित सुविधाओं की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। तथापि, अपरिहार्य परिस्थितियों, जो भी हो, में ऐसा करने की बाध्यता के मामले में, पात्र संस्था संबंधित ब्याज और पूर्वभुगतान दंड, यदि कोई हो, के साथ, उस समय तक प्राप्त किए गए संपूर्ण ऋण को एकल किस्त में अनुसूचित बैंक को लौटाने के पश्चात् संबंधित बैंक से अनुमति प्राप्त करेगी।

13.5. भूमि और वैधानिक मंजूरी (जहां भी आवश्यक हो) की उपलब्धता संबंधी आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ पुष्टीकरण को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/स्वतः पूर्ण प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा। अनिवार्य रूप से आवश्यक मंजूरी की सूची अनुबंध-1 में संलग्न है।

13.6 पात्र इकाईयां सभी अधिक्रमण और अतिक्रमणों से मुक्त आवश्यक भूमि की उपलब्धता के दस्तावेजी साक्ष्य/प्रमाण पत्र प्रदान करेंगी।

14. परियोजना के लिए आवश्यक सांविधिक मंजूरी प्राप्त करना

14.1. पात्र संस्थाओं को एचआईडीएफ के तहत अपेक्षित परियोजना के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक मंजूरी, अनुमति और लाइसेंस, जो भी और जहां भी आवश्यक हो, प्राप्त करना अपेक्षित होता है। सांविधिक मंजूरी प्राप्त करने के लिए यदि कोई अपेक्षित व्यय शामिल है, तो वह आवेदकों/लाभार्थियों द्वारा पूरा किया जाएगा।

14.2. सांविधिक मंजूरी प्राप्त करने के लिए, लाभार्थी को राज्य सरकार में विभिन्न विभागों / संगठनों से संपर्क करना होगा। इससे लाभार्थी को अनावश्यक बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए, राज्य पशुपालन विभाग परियोजना के लिए आवश्यक सांविधिक मंजूरी की सुविधा के लिए एकल विंडो स्थापित करेगा और परियोजना को बैंक तथा पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए पात्र इकाईयों का प्रबंधन करेगा। अपेक्षित सांविधिक मंजूरी की सांकेतिक सूची अनुबंध 1 में दी गई है।

15. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना

15.1. पात्र इकाईयां स्वतः पूर्ण प्रस्ताव के साथ एचआईडीएफ के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए विस्तृत व्यवहार्य परियोजना रिपोर्ट तैयार करेंगी।

15.2. प्रत्येक परियोजना रिपोर्ट में दूध, मांस और पशु चारे के लिए गुणवत्ता प्रबंधन इकाई, पैकेजिंग इकाई की स्थापना और उत्पाद संवर्धन संबंधी प्रस्ताव शामिल होना चाहिए।

15.3. परियोजना रिपोर्ट में भविष्य का बाजार निर्माण, रोजगार के अवसर, कच्चे माल की खरीद और परियोजना से संबंधित कोई अन्य जानकारी भी शामिल होनी चाहिए।

15.4. विशेष रूप से डेयरी प्रसंस्करण, मांस प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन तथा पशु आहार संयंत्र की स्थापना से संबंधित अवसंरचना के लिए विस्तृत परियोजनाएं निम्नलिखित के आधार पर तैयार की जानी चाहिए:

(i) उपयुक्त स्थल की पहचान

(ii) आवश्यक इंजीनियरिंग और सामाजिक-आर्थिक जांच और सर्वेक्षण,

(iii) सुविधाओं की योजना तथा डिजाइनिंग और

(iv) जहां भी आवश्यक हो आदर्श अध्ययन।

15.5. पात्र इकाईयां परियोजना दस्तावेजों की तैयारी के लिए तकनीकी सहायता प्राप्त करने हेतु संबंधित राज्य पशुपालन विभाग, राज्य सरकार या केंद्र सरकार निगमों, परामर्शी सेवाओं से भी संपर्क कर सकती हैं। यदि आवश्यक हो, तो पात्र इकाईयां सिडबी के उद्यमी मित्र पोर्टल पर उपलब्ध हैंडहोल्डिंग एजेंसियों की सूची भी देख सकती हैं।

15.6. राज्य पशुपालन विभाग ऐसी पात्र इकाईयां द्वारा अनुरोध किए जाने पर एकल विंडो सिस्टम के माध्यम से आवश्यक मंजूरी की सुविधा उपलब्ध कराने सहित परियोजनाएं तैयार करने के लिए उन्हें हैंडहोल्ड करेगा।

16. परियोजना प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण

16.1. पात्र इकाईयां भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा विकसित "उद्यमी मित्र" पोर्टल के माध्यम से पूर्ण डीपीआर के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी।

16.2. पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा एचआईडीएफ के तहत ब्याज सहायता के अनुमोदन के अधीन परियोजना के यथोचित मूल्यांकन और स्वीकृति के पश्चात् अनुसूचित बैंक, ऑनलाइन तंत्र के माध्यम से ब्याज सहायता के अनुमोदनार्थ पशुपालन और डेयरी विभाग को आवेदन/परियोजना प्रेषित करेंगे।

16.3. ब्याज सहायता मांगने संबंधी आवेदन को **अनुबंध-II** में संलग्न फॉर्म के अनुसार प्रस्तुत किया जाना है।

17. परियोजना का मूल्यांकन और संस्वीकृति

17.1. पशुपालन और डेयरी विभाग में गठित परियोजना प्रबंधन एजेंसी आवेदन की जांच करेगी, परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा एचआईडीएफ के तहत ब्याज सहायता के अनुमोदनार्थ अनुसूचित बैंकों द्वारा संस्वीकृत प्रस्ताव का मूल्यांकन और आकलन करेगी।

17.2. परियोजना अनुमोदन समिति नियमित रूप से बैठक करेगी और इसके समक्ष रखे गए प्रस्तावों पर विचार करेगी तथा ब्याज सहायता देने के लिए 50 करोड़ रुपए तक की लागत वाली परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करेगी।

17.3. परियोजना अनुमोदन समिति परियोजनाओं की जांच और मूल्यांकन के पश्चात् परियोजना संस्वीकृति समिति (पीएससी) के समक्ष 50 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना की सिफारिश करेगी।

17.4. बैंक एचआईडीएफ के तहत ब्याज सहायता हेतु ऐसी परियोजनाओं पर विचार करने से पूर्व परियोजना संस्वीकृति समिति / परियोजना अनुमोदन समिति को ऋण स्वीकृति की प्रति भेजेगा।

17.5. बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत होने के बाद परियोजना अनुमोदन समिति/परियोजना संस्वीकृति समिति एमएसएमई के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक परियोजना पर क्रेडिट गारंटी के लिए भी सिफारिश करेगी।

17.6. समिति द्वारा सभी परियोजनाओं का मूल्यांकन पात्र इकाईयों के पात्रता मानदंडों, प्रस्तावित पात्र कार्यकलापों, बैंक के अनुमोदन, भौगोलिक प्राथमिकताओं, एमएसएमई प्रमाणन, क्षेत्रीय प्राथमिकताओं, माँग और आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर किया जाएगा।

18. कार्यान्वयन तंत्र

18.1. एचआईडीएफ के कार्यान्वयन के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है।

18.2. परियोजना संस्वीकृति समिति (पीएससी)

18.2.1. गठन:

- (i) सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार- अध्यक्ष
- (ii) नाबार्ड के प्रतिनिधि, जिनका स्तर सीजीएम के स्तर से कम न हो
- (iii) पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार के वित्तीय सलाहकार
- (iv) वित्तीय सेवा विभाग के प्रतिनिधि, जिनका स्तर संयुक्त सचिव के स्तर से कम न हो।
- (v) खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के प्रतिनिधि, जिनका स्तर संयुक्त सचिव के स्तर से कम न हो

(vi) संयुक्त सचिव (गोपशु और डेयरी विकास), पशुपालन और डेयरी विभाग

(vii) संबंधित राज्य के सचिव

(viii) भाग लेने वाले बैंकों के प्रतिनिधि, जो उप प्रबंध निदेशक/सीजीएम से कम न हो

(ix) संयुक्त सचिव (एनएलएम) - सदस्य संयोजक

18.1.2. पीएससी की विचारार्थ मर्दे (टीओआर) इस प्रकार हॉगी:

(क) एएचआईडीएफ दिशानिर्देशों के अनुमोदन / संशोधन पर निर्णय लेना।

(ख) कार्यकालाओं को जोड़ने और हटाने के बारे में निर्णय लेना, वार्षिक कार्य योजनाओं और निधि आहरण योजनाओं आदि को अनुमोदित करना।

(ग) परियोजना अनुमोदन समिति की अनुशंसा के आधार पर ब्याज सहायता के लिए परियोजनाओं को मंजूरी देना।

(घ) परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए आवश्यक शक्तियों को प्रत्यायोजन।

(ङ) व्यक्तिगत कार्यकालाओं के वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों को संशोधित करना और इकाई लागत में सुधार करना।

(च) पीएससी के सदस्यों के रूप में पशुपालन क्षेत्र से बाह्य विशेषज्ञों का चयन करना।

(छ) जब और जैसे आवश्यक हो बैठक आयोजित करना।

18.3. परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी):

18.3.1. गठन

(i) संयुक्त सचिव (राष्ट्रीय पशुधन मिशन) - अध्यक्ष

(ii) नाबार्ड के प्रतिनिधि

(iii) वित्तीय सलाहकार, डीएएचडी के प्रतिनिधि

(iv) वित्तीय सेवा विभाग के प्रतिनिधि

(v) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधि

(vi) संबंधित बैंक के प्रतिनिधि

(vii) डेयरी प्रभाग के प्रतिनिधि

(viii) संबंधित राज्य के प्रतिनिधि (जिनका स्तर निदेशक के स्तर से कम न हो)

(ix) एनएलएम प्रभाग के संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ निदेशक- संयोजक

18.3.2. विचारार्थ मर्दे (टीओआर)

- (i) परियोजना अनुमोदन समिति योजना के दिशानिर्देश तैयार करेगी और अनुमोदन के लिए परियोजना संस्वीकृति समिति को प्रस्तुत करेगी।
- (ii) परियोजना अनुमोदन समिति ब्याज सहायता हेतु 50.00 करोड़ रुपए तक की परियोजना को मंजूरी देगी।
- (iii) परियोजना संस्वीकृति समिति द्वारा परियोजना अनुमोदन समिति की सिफारिश के पश्चात् ब्याज सहायता हेतु 50 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को अनुमोदित किया जाएगा।
- (iv) प्रस्ताव के आधार पर समिति की बैठक हर माह या एक माह से पहले भी की जाएगी।

19. परियोजना निगरानी इकाई

19.1 पशुपालन और डेयरी विभाग परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) को आउटसोर्स करेगा।

19.2. पीएमए की विचारार्थ मर्दे निम्नानुसार होंगी:

(i) पीएमए सभी डेस्क और क्षेत्रीय निगरानी के लिए मुख्यालय में जनशक्ति सहित सभी लॉजिस्टिक सहायता की व्यवस्था करेगा और गैर-स्टार्टर परियोजनाओं, धीमी प्रगति वाली परियोजनाओं, भौगोलिक और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं, परियोजना-वार प्रगति रिपोर्ट के संकलन, परिणाम आदि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों और बाधाओं की पहचान करेगा। निगरानी तंत्र का डिजाइन पीएससी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(ii). पीएमए, बैंकों और डीएचडी में प्राप्त, संसाधित और लंबित आवेदन से संबंधित उद्यमी मित्र पोर्टल की निगरानी, एमआईएस प्रणाली हेतु डैश बोर्ड का विकास, परियोजना प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु राज्यों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करने, एचआईडीएफ पर प्रश्नों के संबंध में लाभार्थियों के मार्गदर्शन, प्रस्तावों की खोज, बैंकों से बातचीत करने का कार्य भी करेगा। पीएमए परियोजनाओं का मूल्यांकन भी करेगा और अनुमोदनार्थ पीएसी / पीएससी के समक्ष रखेगा।

(iii). पीएमए, पीएसी और पीएससी से पूर्व परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन तथा रिपोर्ट तैयार करने से संबंधित सभी मामलों में भी सहायता प्रदान करेगा।

19.3. पीएससी, पीएसी और पीएमए मिलकर परियोजना निगरानी के कार्य को निम्नलिखित तरीके से करेंगे:

(i) पशुपालन और डेयरी विभाग में परियोजना संस्वीकृति समिति एचआईडीएफ के तहत अनुमोदित परियोजनाओं की समीक्षा और निगरानी करेगी। एचआईडीएफ के तहत

प्रारंभ की गई परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने के लिए पीएससी की निगरानी बैठक तिमाही आधार पर आयोजित की जाएगी।

(ii) पीएमए, पात्र इकाईयों, बैंकों से त्रैमासिक आधार पर परियोजना की वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियों सहित उसकी प्रगति के बारे में जानकारी एकत्र करेगा और पीएससी के समक्ष रखेगा।

(iii) कार्यान्वयन के समय किसी भी परियोजना द्वारा तकनीकी और प्रशासनिक बाधयताओं का सामना किए जाने के कारण यदि आवश्यक हो तो पीएससी परियोजना-वार मध्यावधि सुधार करेगी। मध्यावधि सुधारों में परियोजना का दायरा बढ़ाना/कम करना, परियोजना घटकों की पुनः व्यवस्था, समग्र अनुमोदित परियोजना लागत के भीतर एक मद से दूसरे मद में धन का पुनः विनियोजन शामिल होगा।

(iv) यदि पात्र इकाई बैंक से ऋण प्राप्त करने में विफल रहती है तो परियोजना को गैर-स्टार्टर माना जाएगा।

20. जागरूकता उत्पन्न करना

20.1. ऐसे विभिन्न हितधारक हैं जो योजना का लाभ उठा सकते हैं। इन हितधारकों को योजना के बारे में पर्याप्त रूप से जानकारी होनी चाहिए ताकि वे निधि तक पहुंच बना सकें। इसलिए, केंद्र सरकार जन जागरूकता उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया का उपयोग करेगी।

20.2. भारतीय डेयरी परिसंघ (आईडीएफ), मिश्रित पशुधन आहार विनिर्माता एसोसिएशन (सीएलएफएमए), अखिल भारतीय पशुधन और मांस निर्यातक एसोसिएशन, राज्य सरकार के पशुधन निगम, सीआईआई, फिक्की, एसोचैम जैसे स्टोक होल्डर्स और अन्य जागरूकता सृजन में शामिल होंगे।

20.3. राज्य सरकार इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से सम्मेलनों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं, व्यावसायिक बैठकों के द्वारा जमीनी स्तर पर जागरूकता उत्पन्न करेगी। इस तरह की जागरूकता उत्पन्न करने के लिए राज्यों और अन्य एजेंसियों को निधियन सहायता प्रदान की जाएगी।

सांविधिक मंजूरी की सांकेतिक सूची

क्र. सं.	संविधि का नाम
01	राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार स्थानीय प्राधिकरण मंजूरी
02	पट्टे पर या भूमि के स्वामित्व पर भूमि प्राधिकरण से अनापत्ति
03	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापित करने (सीओई) और संचालित (सीओ) करने संबंधी सहमति
04	ट्रेड लाइसेंस
05	भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
06	जल और वायु अधिनियम
07	राज्य विद्युत बोर्ड
08	एमएसएमई पंजीकरण (केवल एमएसएमई कंपनियों के लिए)
09	कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकरण (केवल कंपनियों के लिए)
10	श्रम अधिनियम / ईपीएफ अधिनियम के तहत पंजीकरण।
11	डेयरी, मांस प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्र स्थापित करने के लिए संबंधित राज्य से अपेक्षित कोई भी अन्य सांविधिक मंजूरी।



भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

ऑनलाइन आवेदन फार्म

पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के तहत ब्याज सहायता की मांग

		फोटो
		हस्ताक्षर
क्र.सं.	विवरण	
1.	अवसंरचना की श्रेणी क. डेयरी प्रसंस्करण ख. मांस प्रसंस्करण ग. पशु आहार संयंत्र घ. मूल्य संवर्धन	
2.	पात्र इकाई का नाम क. किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) ख. धारा 8 कंपनी ग. व्यक्तिगत उद्यमी घ. निजी कंपनी ङ. एमएसएमई	
3.	पता क. प्रस्तावित परियोजना का स्थान (भू-टैगिंग और साइट के मानचित्र और फोटो के साथ) ख. कॉर्पोरेट कार्यालय का स्थान ग. व्यक्तियों का पता	
4.	कंपनी का कुल कारोबार (पिछले तीन साल की बैलेंस शीट प्रदान करें)	
5.	यदि एमएसएमई परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, तो कृपया प्रमाणपत्र प्रदान करें	
6.	पैन / टिन / आधार संख्या	
7.	टेलीफोन नं./ मोबाइल नं.	
8.	ईमेल पता	

9.	बैंक विवरण जहां ऋण आवेदन को मंजूरी दी गई है क. बैंक का नाम ख. बैंक शाखा ग. पता घ. शाखा प्रबंधक का ईमेल पता ड. टेलीफोन नं. च. आईएफएससी कोड	
10.	बैंक खातों का विवरण क. बैंक का नाम ख. बैंक शाखा ग. पता घ. ऋण खाता संख्या ड. टेलीफोन नं. च. आईएफएससी कोड	
11.	परियोजना का विवरण (परियोजना का संक्षिप्त विवरण)	

(आवेदक के हस्ताक्षर)

कृपया निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न करें

- घटक वार लागत ब्रेकअप, कुल लागत, आवर्ती लागत, शुद्ध आय आदि सहित विस्तृत परियोजना और परियोजना की व्यवहार्यता
- सहायक दस्तावेज़ [पते का प्रमाण, पैन / टिन / आधार कार्ड की प्रति, एमएसएमई प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), भूमि धारण का प्रमाण (स्वामित्व या पट्टा, रूपांतरण), शिक्षा प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, आय प्रमाण, परियोजना के लिए प्रासंगिक पिछले छह महीने का बैंक विवरण।
- परियोजना की स्थल योजना (साइट प्लान)।
- मशीनरी और उपकरण की सूची।
- प्रसंस्करण सुविधा की पंजीकृत वास्तुकार द्वारा प्रमाणित लेआउट योजना (सिविल और मशीनरी दोनों)।
- सभी सांविधिक मंजूरियां जैसे स्थानीय प्रशासन से अनुमति, व्यापार लाइसेंस, स्थापना की सहमति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कार्य करने के लिए सहमति, परियोजना के लिए आवश्यक एफएसएसएआई लाइसेंस।
- उत्पाद की गुणवत्ता का प्रबंधन, उत्पाद संवर्धन और बाजार विकास सुनिश्चित करने के लिए रोडमैप।

Scheme

[Scheme Guidelines](#)

[Application Steps](#)

[Guidelines Documents](#)

[List of Lender](#)

[Statutory Clearances](#)

[Lender Instruction](#)

[Standard Operating](#)

[Procedures](#)

Application Steps

UNDERSTAND THE PROCESS FOR AVAILING LOAN



01. Online Loan Application

Properly understand information & documents required to fill Loan application form (LAF) under the Scheme. Keep all the information & documents ready before you start the application process.

[View/Download Application form](#)

[View/Download list of required documents](#)



02. Application Screening by Ministry

After successful submission of application ministry will do initial screening of application based on AHIDF schemes guideline. If application is found eligible, then ministry will mark the same on portal.



03. Loan Approval by Lender

After application screening from ministry, lender will pick the LAF from portal. Then Lender will approve the loan after examining the project/documents submitted by applicant and completing their internal diligent process. Lender will upload sanction letter on the portal.



04. Approval of Interest Subvention by Ministry

Ministry will approve Interest subvention based on the sanction letter provided by lenders and ministry will mark approval of the same on portal.



05. Disbursement of Loan

After compliance of terms and conditions, mentioned in the sanction letter, lender will disburse the loan amount to the beneficiary. Further, lender will centrally make request to ministry for interest subvention.